संख्या -7/सू0अ0 16/84-2-2013-1(विविध)/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 सितम्बर,2013

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रार्थना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निजी सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3549 मु0स0/सू0का0अ0/2013, दिनांक 30 अगस्त, 2013 एवं इसके साथ संलग्न सुश्री आशा सोता, अवर सचिव एवं केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्यायिक मामले विभाग, इम्प्लीमेंटेशन सेल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या 21(827)2013-आईसी दिनांक 21-08-2013 तथा श्री जगदम्बा प्रसाद श्री जे0एम0 मिश्रा, एम0आई0जी0 सी-1241, न्यू ब्लाक सेक्टर-7, आवास विकास कालोनी, तालकटोरा रोड, राजाजीपुरम्, लखनऊ के पत्र दिनांक 31-5-2013 एवं 18-5-2012 की छायाप्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-सू0अ0 12/84-2-2013-1 (विविध)/2006, दिनांक 07 जून, 2013 द्वारा प्रकरण आपको अंतरित किया गया है। अत: प्रकरण में प्राप्त उक्त संदर्भ को भी आयोग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत आपको अंतरित किया जाता है।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी ।

.....2.....

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-7/सू0अ0 16(1)/84-2-2013-1(विविध)/2006, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

(1) निजी सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(2) सुश्री आशा सोता, अवर सचिव एवं केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्यायिक मामले विभाग, इम्प्लीमेंटेशन सेल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 21-08-2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(3) श्री जगदम्बा प्रसाद श्री जे0एम0 मिश्रा, एम0आई0जी0 सी-1241, न्यू ब्लाक सेक्टर-7, आवास विकास कालोनी, तालकटोरा रोड, राजाजीपुरम्, लखनऊ - 226017 को इस सूचना के साथ कि आपका प्रकरण उक्तानुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को अंतरित कर दिया गया है।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in